भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2890

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

कैशलेस उपचार की सुविधा

2890. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिसम्बर, 2024 की तिथि के अनुसार कितने राज्यों में सड़क दुर्घटना पीडितों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा हेतु योजना लागू की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार कितने लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार की उक्त योजना का उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में विस्तार करने की योजना है, और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुरूप, सरकार मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर संघ राज्य क्षेत्रों चंडीगढ़ और पुडुचेरी और असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट कार्यक्रम लागू किए हैं।

(ख) 7 दिसंबर 2024 तक, इस पायलट कार्यक्रम के तहत सड़क दुर्घटनाओं के 2,183 पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) कार्यान्वयन के तहत चल रहे पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों के सहयोग से जमीनी स्तर पर सत्यापन और मूल्यांकन के माध्यम से योजना को और मजबूत करना है, साथ ही योजना को पूरे भारत में शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परिचालन संबंधी तत्परता सुनिश्चित करना है।

******